बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0– 11 / विविध–02–01 / 2016– पटना, दिनांक–

कार्यालय आदेश

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान परिक्षेत्राधीन कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा के अंतर्गत दाहा उदवह सिंचाई योजना के कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या–01SBD/2011-12 का सम्पादान संवदेक सेसर्स फ्लोमोर लिमिटेड, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राजेश सिन्हा, संतोष भवन, रोड नंबर– 1, राजवंशी नगर, पटना द्वारा दिनांक–08.07.2011 को किया गया था। कालांतर में पाया गया कि कार्य मे प्रयुक्त Pedestal Thrust Block क्षतिग्रस्त हो गया । क्षतिग्रस्त Pedestal Thrust Block एवं पाईप में क्रेक की जाँच दिनांक–21.08.2015 को उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा की गई एवं जाँच में पाया गया कि एकरारनामा के अनुसार दाहा नदी के 10 घन सेक जल श्राव वाले 5 अदद 90 KWVT मोटर पंप , विद्युत उपकरण दो सेट, 315 KVA ट्रांसफर्मर दो सेट, सेफ्टी डिवाइस इत्यादि सभी का रूपांकण, निर्माण अधिष्ठापन, आपूर्ति, जॉच तथा तीन वर्ष तक संचालन एवं रख–रखाव सहित यांत्रिक कार्य सभी अव्यवों के रूपांकण, आपूर्ति, अधिष्ठापन तथा संचालन करते हुए कार्य का निष्पादन संवेदक द्वारा किया जाना था । साथ ही IS Code 5822-1994 एवं IS Code- 5330-1984 के आलोक में लोहे के पाईप लाइन तथा अवयवों का रूपांकण विभाग को समर्पित नहीं किया गया न ही यांत्रिक कार्यो का अनुमोदन ही विभाग से प्राप्त किया गया । फलस्वरूप पाईप लाईन में पर्याप्त संख्या में Expansion Joint नहीं दिये जाने के कारण पाईप लाईन क्रेक कर गया, साथ ही Pedestal एवं Thrust Block भी क्षतिग्रस्त हो गया ।

संवेदक के विरूद्ध उपर्युक्त आरोप के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–951 दिनांक–15.02.16 द्वारा उनसे कारण–पृच्छा किया गया। पत्रांक–FL-PAT/WRD-BIHAR/87-122 दिनांक– 01.03.2016 द्वारा संवेदक से कारण–पृच्छा प्राप्त हुआ । संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि एकरारनामा के अनुसार दाहा नदी के 10 घन सेक जल स्त्राव वाले 5 अदद 90KWVT मोटर पंप, विद्युत उपकरण दो सेट 315 KVA ट्रांसफर्मर दो सेट, सेफ्टी डिवाइस इत्यादि सभी का रूपांकण , निर्माण, अधिष्ठापन, आपूर्ति , जॉच तथा तीन वर्षो तक संचालन करते हुए कार्य का निष्पादन संवेदक द्वारा किया जाना था, लेकिन संवेदक द्वारा ऐसा नहीं किया गया । संवेदक द्वारा Is Code 5822-1994 एवं Is Code 5330-1984 के आलोक में लोहे के पाईप लाइन तथा रूपांकण विभाग को समर्पित नहीं किया गया और न ही यांत्रिक कार्यों का अनुमोदन विभाग से प्राप्त किया । समीक्षा के क्रम में यह बात भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया कि संवेदक द्वारा पाइप लाइन में पर्याप्त संख्या में Expansion Joint नहीं दिये जाने के कारण पाईप लाइन क्रेक कर गया एवं Pedestal एवं Thrust Block भी क्षतिग्रस्त हो गया ।

उपर्युक्त से विदित होता है कि एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं करने के लिए संवेदक कंपनी फ्लोमोर लि0 पूर्ण रूप से दोषी हैं एवं उनके कृत्य को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली –2007, के नियम 11 (क)(ii) में प्रावधानित कदाचार यथा– एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के तहत कार्य निष्पादन में चूक को प्रमाणित मानते हुए विभागीय ज्ञापांक– 201 दिनांक– 14.03.2016 के आलोक में संवेदक कंपनी फ्लोमोर लिमिटेड, 1584 / 113, पो0– गणेशपुरा, त्रिनगर, नई दिल्ली– 110035 के निबंधन संख्या– 30 / 2013 (श्रेणी – प्रथम) को दस वर्षो के लिए काली सूची में डाला जाता है ।

ह0 / –
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

कृ0पृ0उ0–2

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– फ्लोमोर लिमिटेड, निदेशक– श्री रिषभ गुप्ता, पता– 1584/113, पो0– गणेशपुरा, त्रिनगर, नई दिल्ली/फ्लोमोर लिमिटेड, प्लॉट नंबर– 14, ब्लॉक– II, मोहन कॉ–ऑपरेटिभ, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली – 110034 को सूचनार्थ ।

ह0/–
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक– 3587 पटना, दिनांक– 01.7.2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो0 अंचल– 2,3 एवं 4/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के अधीन / आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राम पुकार रंजन) 01/07/16
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
29/6/16

TSC-1/ON DESKTOP/TSP/06-16/Sec-11